संख्या : 10/2016/1624/छप्पन-2015-2/2015

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 01 फरवरी, 2016**

विषय : कै0 दिनेश श्रीवास्तव, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 17-07-2015 से दिनांक 27-07-2015 तक मैसर्स अगुस्ता वेस्टलैण्ड ट्रेनिंग अकादमी, इटली में कराये गये ट्रेनिंग के पश्चात देय यात्रा बीजक के समायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 629/ना0उ0नि0/लेखा/15, दिनांक 2.11.2015 के संदर्भ में शासनादेश संख्या- 52/2015/944(2)/छप्पन-2015-2/15, दिनांक 07.7.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कै0 दिनेश श्रीवास्तव, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 17-07-2015 से दिनांक 27-07-2015 तक मैसर्स अगुस्ता वेस्टलैण्ड ट्रेनिंग अकादमी, इटली में कराये गये प्रशिक्षण हेतु इंगित शासनादेश दिनांक 07-07-2015 द्वारा यात्रा व्यय हेतु रूपये 2,25,000/- (रूपये दो लाख पच्चीस हजार मात्र) के अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। विदेश यात्रा से वापस आने के उपरान्त श्री सिंह द्वारा प्रस्तुत यात्रा बीजक रूपये 2,47,261/- को परीक्षणोपरान्त सही पाया गया। अतः पूर्व में स्वीकृत अग्रिम धनराशि रूपये 2,25,000/- को समायोजित करते हुए राज्यपाल महोदय अवशेष धनराशि रूपये 22,261/- (रूपये बाइस हजार दो सौ इकसठ मात्र) के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- शासनादेश संख्या-52/2015/944(2)/छप्पन-2015-2/15, दिनांक 07.7.2015 में उल्लिखित शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत् लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 10/2016/1624(1)/छप्पन-2015 तददिनांक ।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0 छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
8- सम्बन्धित अधिकारी।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।